



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00AB 728364

वह अनुचित है कि विद्या एवं जन कल्याण सम्बन्धित
31-१२. दुमापुर (दक्षिण) ओवरफोज को भुज्य डाक्सर
ड्राफ्ट नं. 63 के साथ सम्बन्धित



Rumar
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

विद्यालय दानेश्वर
पर्याप्ति देने वाला विद्यालय
23/11/10

[Signature]
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00AB 728365

पंचानन्द द्वारा दिल्ली में जै अधिकार से दिए
30 रु. दुर्मारुपर को भुत्युक्त करने के लिए 630
रु. के साथ सलाह की

Suman
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

लक्ष्मण चन्द्र
कर्म सेवा इंटीर्नल तथा बिल्डिंग
जूली 23/11/10

Dipak
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

स्मृति-पत्र

1.	संस्था का नाम	: पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान
2.	संस्था का पूरा पता	: 31-ए, हुमायूंपुर दक्षिणी, ओवरब्रिज, पोर्ट मुख्य डॉकघर तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4.	संस्था का स्वरूप	: शैक्षणिक / सामाजिक
5.	संस्था के मुख्य उद्देश्य	<p>1. प्राइमरी से उच्च स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करना।</p> <p>2. सामाजिक विकास सम्बन्धित कार्यों को करना।</p>

अन्य उद्देश्य

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संस्था के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत की स्थापना करना तथा प्राथमिक स्तर, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक इंटरमीडिएट एवं महाविद्यालय एवं उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. वन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा वन के अन्दर एवं बाहर वसने वाले गाँवों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान और वन्य जीवों का अध्ययन एवं संरक्षण करना।
3. समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालक-बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, स्क्रीन प्रिंटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डी०टी०पी०, सिलाई कढाई, बुनाई पैटिंग, फल संरक्षण रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरत्ती, मसाला व्यूटी पार्लर की जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प, कला चमड़ा उद्योग रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा समाज के निर्बल एवं वेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का सफल बनाने का प्रयास करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सीवर की व्यवस्था करना व मलिन वस्तियों सहित अन्य क्षेत्रों की सफाई का कार्य करवाना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार-प्रसार करना तथा आवास बनवाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना। नांद्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में निःशुल्क ज्ञान करवाना।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।
8. संस्थान में प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से छात्र जीविका निर्वाह की समस्या स्वतः समाधान कर सके।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए आश्रम बनवाना।
10. बाल श्रम विद्यालय, शिक्षा प्रशिक्षण की स्थापना करना तथा योग का प्रशिक्षण करना तथा निःशुल्क विधिक परामर्श देना।

Rumari

PRINCIPAL

P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सहायक राजदूत
नो स. फटोज तथा जिला
गोरखपुर

Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

क्रमांक: 2

(3)

25. संरक्षित जीव जन्तुओं व पशु पक्षियों का संरक्षण करना व उनका अवैध शिकार पर रोक लगाना।
26. जानवरों के चारागाह हेतु नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना, तथा जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवरथा की जा सके।
27. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उठ प्र० सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।
28. जीव जन्तुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों को नष्ट होने से बचाना तथा उनको क्षति पहुँचाने वालों से बचाना।
30. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय, अनाथालय हास्टल का प्रबन्ध करना।
31. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गौवों एवं शहरों में अभिलेख पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना तथा पार्कों की व्यवस्था करना।
32. बेरोजगारी दूर करने की नियत से महिलाओं को आचार, मुरब्बा, बिस्कुट, नमकीन, कंक, अगरबत्ती, माचिस पत्ताल, पापड़ जैम जैली बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना।
33. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
34. बाल विकास एवं बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आईएलओओ, यूनोडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिसेफ एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कंधे से कंधा मिलाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना।
35. फूलों एवं फलों की खेती तथा बागवानी बोर्ड एवं पेड, पौधों से सम्बन्धित जानकारी जन मानस स्तर पहुँचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
36. तक पहुँचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
37. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना करना।
38. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय आश्रम, पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
39. आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्यूनिटी हाल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क रस्टूडियों रात्रि निवास, शार्ट स्टे होम, मूक बधिर, कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
40. वालिकाओं-महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी देना, अविवाहित माता, विधवा, पारिवारिक हिंसा/दहेज प्रथा दहेज पीड़ित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना।
41. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के सहयोग प्रदान करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना।

क्रमशः 4

D.
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

Rumai
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur
सहायक एवं मद्दा
गोपनीय अधिकारी व चिट्ठा
गोपनीय अधिकारी व चिट्ठा
गोपनीय अधिकारी व चिट्ठा

(6)

5. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता तथा जिसको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार रखा गया है :-

क्र०सं०	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र पंचानन सिंह	31-ए, हुगार्यूपुर दक्षिणी ओयरब्रीज रोड जिला—गोरखपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री हरिहर सिंह पुत्र खामीनाथ सिंह	ग्राम पिपरा मदन गोपाल, टोला महुआबारी, जिला—देवरिया	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3.	श्रीमती कमला सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह	31-ए, हुगार्यूपुर दक्षिणी ओवरब्रीज रोड जिला—गोरखपुर	प्रबन्धक / सचिव	गृहिणी
4.	श्री रमेश सिंह पुत्र पंचानन सिंह	ग्राम बेलवा बुजुर्ग पो० महुआ कारखाना जिला कुशीनगर	उप प्रबन्धक / उप सचिव	समाजसेवा
5.	श्रीमती मालती सिंह पत्नी नथुनी सिंह	ग्राम व पो० सोहंग जिला—कुशीनगर	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6.	डा० रामनरेश सिंह पुत्र कुमार सिंह	मानस बिहार कालोनी, जिला गोरखपुर	सदस्य	भूतपूर्व चिकित्सक
7.	श्री रामचन्द्र पुत्र पुजन	ग्राम जंगल धूसड़, टोला रेतवहिया पो० जंगल धूसड़, गोरखपुर	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती विद्यावती सिंह पत्नी गंगादयाल सिंह	ग्रा० व० पोस्ट लछिया जिला—कुशीनगर	सदस्य	गृहिणी
9.	श्री हुकूम चन्द खरवार पुत्र श्री परमहंस खरवार	ग्राम रामपुर मीर, पो० पतरेंगवॉ जिला—महराजगंज	सदस्य	व्यवसाय

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि० 21 सन् 1860 के अन्तर्गत सोसायटीज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

दिनांक - २३-११-२०१०

२३/११/१०

मन्त्री - प्रतिलिपि
२३-११-१० द्वारा संहारा
मालती सिंहगोरखपुर ८० को ५ बजे
रामनरेश
प्रिन्सिपल

प्रतिलिपि करता है

जिलान कर्ता २३/११/१०

...

...

...

...

...

...

PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, GorakhpurManager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

नियमावली

1. संस्था का नाम : पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : 31-ए. हुमायूंपुर दक्षिणी, ओवरब्रिज, पो० मुख्य डाकघर तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ० प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

आजीवन सदस्य -

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 5001/- नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य -

जो व्यक्ति संस्था के हित के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे और संस्था को 501/-वार्षिक चन्द्रधन/सहयोग के रूप में निस्वार्थ भाव से देते रहेंगे वह संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को 101/-रुपया नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य माना जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति -

- (1) किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर।
- (2) प्राणल या दिवालिया होने पर।
- (3) संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- (4) त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर।
- (5) कमेटी द्वारा पारित नियमों के पालन न करने पर।
- (6) दण्डित होने पर।
- (7) सदस्यता शुल्क न देने पर।
- (8) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
- (9) पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने पर।

6. संस्था के निम्न अंग होंगे -

अ)-साधारण सभा

ब)- प्रबन्धकारिणी समिति

क्रमशः 2

सहायक निदेशक
सोसाइटी तथा चिट्ठा
डॉ. रमेश कुमार


Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur


PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

7. साधारण सभा -

(2)

अ)- गठन - संस्था के सभी सदस्यों को गिलाकर साधारण सभा का गठन होता ।

ब). बैठक - साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होती आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

स). सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी।

द) गणपूर्ति - साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा।

य). विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि - साधारण सभा की बैठक में वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

र). साधारण सभा के कर्तव्य -

1. प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया गया गत वर्षों का आय-व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना।
3. आय-व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना।
4. संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।
5. सदस्यों को त्यागपत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।
6. समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति गुप्त मतदान के द्वारा करायेगी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति -

अ). गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा तथा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी एवं 4 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 9 की होगी।

स). बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी। विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे पूर्व बुलायी जा सकती है।

द). सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व, विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

य). गणपूर्ति - प्रबन्ध समिति के बैठक में गणपूर्ति 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

र). रिक्त स्थानों की पूर्ति - रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगी।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य -

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

क्रमांक 3

साधारण सभा

कालोस इंटीज तथा चिट्ठा

PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur


Manager

P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

(3)

4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था, व्यक्ति/ व्यक्तियों से चन्दा, दान, उपहार ऋण य अनुदान प्राप्त करना।

5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है।

कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल छुनाव तिथि से 5 वर्ष का होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

अध्यक्ष -

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
4. किसी विवादग्रस्त मामले में अपना निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

प्रबन्धक/सचिव-

- 
1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना व सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
 2. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का रख-रखाव करना।
 3. कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना व बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
 4. किसी भी सदस्य के आरोप सिद्ध होने पर सदस्यता से वंचित करना।
 5. बिलों एवं बाउचरों को हस्ताक्षर करना।
 6. वर्ष के अन्त में आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना एवं उसे प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
 7. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों का रख-रखाव करना।
 8. खर्च के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना तथा हिसाब-किताब से सम्बन्धित कैश बुक, आदि लिखना।
 9. सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
 10. सदस्यों से चन्दा लेना व उनको रसीद काटकर देने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा। प्रबन्धक/सचिव द्वारा जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।
 11. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, ऋण, अनुदान प्राप्त करना।
 12. संस्था से सम्बन्धित समस्त मुकदमों की पैरवी करना व कार्यवाही रजिस्टर अपने पास
 13. बैठकों का दिनांक, स्थान व समय निर्धारित करना, बैठक की अध्यक्षता करना।

क्रमशः.....4

सहायक राष्ट्रमंडल

कानूनी इटीज तथा चिट्ठा

गोरखपूर


Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

(4)

14. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन व निलम्बन करना।
15. कर्मचारियों का धेतन देना।
16. सांस्कृतिक पार्याक्रम खेतकूद आदि का संचालन अपनी देख-रेख में करवाना।

उप प्रबन्धक/उप सचिव-

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सीधे गये समस्त कार्यों को संपादित करना।

कोषाध्यक्ष -

1. संस्था के आय व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना तथा साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
3. समस्त लेख, अभिलेख, कैशबुक, पासबुक एवं लेजर का रख-रखाव करना।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया -संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा।

12. संस्था का कोष - संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा होगा, जिसे प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)-

संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विस्त्र अदालती कार्यवाहियों के संचालन का

उत्तरदायित्व -

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा उसके विस्त्र होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यौयालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों (वाद-प्रतिवादों) की पैरवी प्रबन्धक/सचिव द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. स्टाक रजिस्टर,
4. कैश बुक
5. सूचना रजिस्टर

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : ०२/११/२०१०

॥ सत्य प्रतिलिपि ॥

हस्ताक्षर

प्रबन्ध - प्रतिलिपि

२३/११/२०१०

प्रतिलिपि कर्ता ...
प्रिया देवी
प्रिया देवी का दाखिला दिया गया

Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road No. 2
Gorakhpur

Bunar
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur
Date : 23/11/10

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 772803

१५ अनंत स्टाप वपर पुंचानन सिंह द्वीपना एक जन कल्याण केस्थान
इमापुण्ड दिल्ली, बृंदावन गोवा मुख्य इकारता हुए सदा
जिला डोगलुपुर काला न० जिला ५८३०
श्री गौड़िया निपामाखली दाय संस्था



Rumor
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

लाहालक एविस्ट्राइ
सोसाइटीज तथा एट्राइ
गोरखपुर
२०।२।२

Dyal
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

		रांशीधिता नियमावली
1	संस्था का नाम	पंचाशन रिंड शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान
2	संस्था का पता	31-ए, मुगार्यूपुर दक्षिणी, ओपरेटिंग, पोस्ट-गुरुद्वारा डाकघर, ताउरील-रादर जिला-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
3	संस्था का कार्यक्षेत्र	समूर्ध उत्तर प्रदेश
4	संस्था के उद्देश्य	स्मृतिपत्र के अनुसार
5	संस्था की सदस्यता व सदस्यता का योग	—

आजीवन सदस्य—

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 500/- नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य—

जो व्यक्ति संस्था के हित के लिये सदैव कार्यरत रहेंगे और संस्था को 501/- वार्षिक चन्दा/सहयोग के रूप में निःस्वार्थ भाव से देते रहेंगे वह संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य —

जो व्यक्ति संस्था को 101/- 50 नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य माना जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति—

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर।
2. पागल या दिवालिया होने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. सदस्यता शुल्क न देने पर।
5. त्यागपत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने पर।
6. कमेटी द्वारा पारित नियमों के पालन न करनेपरः।
7. दण्डित होने पर।
8. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
9. पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने पर।

7 संस्था के निम्न अंग होंगे —

- क. साधारण सभा
- ख. प्रबन्धकारिणी समिति

8 साधारण सभा—

- PRINCIPAL ख-बैठक- संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
P.N. National Public School ग-सूचना अवधि- साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
Jungle Dhusan, Gorakhpur आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।
तहावक एवं विद्यालय ग-सूचना अवधि- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
कम सोसाइटी तथा सिन्हगणपति- साधारण सभा के बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा।

Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhusan, Road Gorakhpur

(2)

डॉ-विशेष वार्षिक अधियेशन की तिथि -

साधारण समा वैठक में वार्षिक अधियेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

साधारण समा के कर्त्तव्य-

1. प्रबन्धकारिणी समिति वा गठन करना ।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया गया गत वर्ष का आय-व्यय रखीकृत करना । तथा आगामी वर्ष के लिये व्यय की संस्तुति प्रदान करना ।
3. आय-व्यय निरीक्षण के लिये निरीक्षक की नियुक्ति करना ।
4. संस्था के पूर्व अभिलेखों पर अधिकार रखना ।
5. सदस्यों का त्यागपत्र रखीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ।
6. समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति गुप्त मतदान के द्वारा करायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति -

अ- गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण समा तथा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी वं 4 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 9 की होगी।

ख-वैठक- प्रबन्धकारिणी समिति सामान्य वैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी । और विशेष वैठक आवश्यकता पड़ने पर किभी भी युलायी जा सकती है।

ग-सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य वैठक की सूचना 3 दिन पूर्व तथा विशेष वैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सदस्यों को देना आवश्यक होगा।

घ-गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति, वो वैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का $\frac{2}{3}$ बहुमत के आधार पर होगा।

र- रिक्त स्थानों की पूर्ति- रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण समा के सदस्यों के $\frac{2}{3}$ बहुमत के आधार पर होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्त्तव्य -

संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना ।

संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना ।

संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी गैरसरकारी संस्थाओं राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था, व्यक्ति/व्यक्तियों से चन्दा, दान, उपहार त्रैण व अनुदान प्राप्त करना ।

प्रबन्धसमिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है।

सी०वी०यस०ई० के प्रतिबन्ध

संस्था को समय समय पर नवीनीकृत करना ।

विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी वर्चों में लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / वेसिस शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए फ्रीरेट शुल्क नहीं

Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhusan, Road Gorakhpur

तहाप्पल राजस्थान

सोसाइटी जग्हा बिटूल लिया जायेगा।

प.प. गोरक्षपूर

PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhusan, Gorakhpur

(3)

4. संरथा द्वारा सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद रो गान्यता प्राप्त है तो पिंडियालय की समझौता रोन्टल बोर्ड आप हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली / काउन्सिल फार दि इण्डियन रेलवे सार्टिफिकेट एंजिनियर, नई दिल्ली से प्राप्त होती हो तो उक्त परीक्षा परिषदों से समझौता प्राप्त होने की तिथि रो परिषद की गान्यता और राज्य सरकार रो अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगी।
5. संरथा के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संरथाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्तों नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्यसेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संरथा उसका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड तिर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा इसके लिए सम्बन्धित विभाग को प्रबन्धसमिति के द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

कार्यकाल— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से 5 वर्ष का होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य—अध्यक्ष—

1. सभी वैठकों की अध्यक्षता करना।
2. वैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. वैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
4. किसी विवादग्रस्त मामले में अपना निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

प्रबन्धक / सचिव—

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना व सभी वैठकों की अध्यक्षता करना।
 2. संस्था की चल एवं अवल सम्पत्ति का रखरखाव करना।
 3. कर्मचारियों के कागों का निरीक्षण करना व वैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
- किसी भी सदस्य की आरोप सिद्ध होने पर सदस्याएँ वंचित करना।

Manager

P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



कमेली १२

मालिनी

३१-८-१९८८

Rammar
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

जंगल द्वारा दिल्ली
सोसाइटी लवा चिन्ह
गोरखपुर

(६)

5. घिलों एवं याउधरों को हस्ताधार करना।
6. वर्ष के अन्त गें आय-व्यय का लेखा-जोखा रीयार करना एवं उसे प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रत्युत करना।
7. समस्त अगिलेखों एवं प्रपत्रों का रखरखाव करना।
8. खर्चों के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना तथा हिसाव किताब से सम्बन्धित कैश तुक्रे आदि लिखना।
9. सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
10. सदस्यों से चन्दा लेना व उनको रसीद काटकर देपे का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा। प्रबन्धक/सचिव द्वारा जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।
11. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं से चन्दा दान ऋण, अनुदान प्राप्त करना।
12. संस्था से सम्बन्धित समस्त मुकदमों की पैरवी करना व कार्यवाही रजिस्टर अपने पास रखना।
13. वैठकों का दिनांक, स्थान व समय निर्धारित करना।
14. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन व निलम्बन करना।
15. कर्मचारियों को वेतन देना।
16. सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद आदि का संचालन अपनी देख रेख में करवाना।

उपप्रबन्धक / उपसचिव-

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

कोषाध्यक्ष-

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. वार्षिक आय-व्यय का विभरण तैयार करना तथा साधारण सभा की वैठक में प्रस्तुत करना।
3. समस्त लेख, अभिलेख, कैशतुक्रे, पासतुक्रे एवं लेजर का रखरखाव करना।

संस्था का कोष-

संस्था का कोष को किसी मान्यता प्राप्त वैक या पोस्ट-आफिस में जमा किया जायेगा। जिसका संचालन संयुक्त रूप से प्रबन्धक ^{त्रै} सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित किया जायेगा।

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की वैठक में किया जायेगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा

संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा किसी मान्यता समस्त आडीटर से कराया जायेगा।

*Ramnath
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhusan, Gorakhpur
तहायक राजियां
१९८० सोसाइटी नं. ५८ जिल्हा
प्रभाग गोरक्षपुर*

*Managing
Principal
P.N. National Public School
Jungle Dhusan*

(5)

14 संरथा द्वारा अधिग्रहण के परिणामों के संचालन का उत्तरवाचिका-

अदानती कार्यवाही को संरथा द्वारा अधिग्रहण के परिणामों की जनपदीय न्यायालय में सुलगाये जायेगे। (यदि प्रतिवादों की पैरवी) प्रबन्धक / राजिक द्वारा किया जायेगा।

15 संरथा के अभिलेख

- 1 सदस्यता रजिस्टर
- 2 कार्यवाही रजिस्टर
- 3 स्टाक रजिस्टर
- 4 कैशबुक
- 5 सूचना पंजिका

संस्था के विद्युतन और विद्युटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही

संस्थां के विद्युतन और विद्युटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



दिनांक ३० - १ - २०१२

हस्ताक्षर

J.M.R

महालालिह

मालालीलिह

—२०१२—१२

मन्त्र - प्रतिलिपि

सहायक निमंद्धार
मोसाइटीन तथा छिट्ठ
—२५/१२/१२

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता २५/१२/१२

Ramnath
PRINCIPAL

P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

[Signature]

P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AE 716982

जनरल स्टाम्प प्रिंटर पंचानन्द लिखा हुवा जन कलाओं सोसाइट
जिला नागरिक समाज संघर्ष मंड़ी का नाम है।
प्राप्ति करने के साथ दर्शन है।
कोटा १५-३-२०२०-२१



Rumon
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

A
संहायक राजिस्ट्रार
फॉन्स, सोसाइटीज एवं धिट्स
गोरखपुर (उ० प०)
16-3-2021

Dipak
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AE 716964

जनरल स्टाम्प प्रेस. पंचांग रहित क्रमांक द्वारा दिलाई गई।

जिला. गोरखपुर माल नं. ८५१८७६३८
क्रमांक ८५१८७६३८ के साथ संलग्न है।

दिनांक १६/३/२०२१



Burner

PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फास. मा. साइटीज एवं पिट्टस
प्रोटोकॉल (३० पृ.)
१६-३-२०२१

Digital Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AE 716984

जनरल स्टॉम्प प्रेसर पंचांग विद्युत विभाग के अनुबंधमान संस्थान

गिला... गोरक्षणपुर ज़िले नं०. ६५५८६७६३८
साथ एलम है।

१६-३-०१-०५-२०२०



Burner

PRINCIPAL

P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सहायक राजिस्तार

एम्स, सोसाइटीज एवं विद्युत

गोरक्षणपुर (उ० प०)

16-3-2021

Dipal
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान 31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज पो० मुख्य छाक्षर तारीख-
सदर जनपद- गोरखपुर की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष- 2020.21

क्र० सं० नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री पंचानन सिंह	31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज रोड जनपद गोरखपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2. श्री हरिहर सिंह पुत्र श्री स्वामीनाथ सिंह	ग्राम पिपरा मदन गोपाल देवला महाबाबारी जनपद देवरिया	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3. श्री दीपक सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह	31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज रोड जनपद गोरखपुर	प्रबन्धक/सचिव	समाजसेवा
4. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पंचानन सिंह	ग्राम बेलवा बुजुर्ग पो० महाबाबा करखाना जनपद देवरिया	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	समाजसेवा
5. श्रीमती मालती सिंह पत्नी श्री नथुनी सिंह	ग्राम वे पो० लक्ष्मीनगर	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6. डा० रामनरेश सिंह पुत्र श्री कुमार सिंह	मासिस विहार कल्याणी जनपद गोरखपुर	सदस्य	भूतपूर्व सैनिक
7. श्रीमती कमला सिंह पत्नी श्री ओमप्रकाश सिंह	31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज रोड जनपद गोरखपुर	सदस्य	गृहिणी
8. श्रीमती विद्यावती सिंह पत्नी श्री गंगादयाल सिंह	ग्राम वे पो० लक्ष्मीनगर	सदस्य	गृहिणी
9. श्री हुकुमचन्द खरवार पुत्र श्री परमहंस खरवार	ग्राम रामपुर मीर पो० पतरेंगवा जनपद महाराजगंज	सदस्य	व्यवसाय

क्रमांक सिंह

मालती सिंह

PRINCIPAL रामेश्वर
सत्य - प्रतिलिपि - हीराजी

P.N. National Public School
Jungle Dhusan, Gorakhpur
राज्यक रजिस्ट्रार
फॉर्म सोसाइटीज तथा चिठ्ठी
प्र० प्र० गोरखपुर


प्रलिपिपि कर्ता...
Manager मिलान कर्ता... ७८-३५९२२१
P.N. National Public School
Jungle Dhusan, Road Gorakhpur

कार्यवाही की पुष्टि

आज दिनांक 03.01.2021 को पूर्व सूचना के अनुसार साधारण सभा की एक बैठक प्रचालन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान 31-ए, हुमांगूपुर ओवर ब्रिज पोर्ट मुख्य डाकघर तहसील- सदर ज़िल्हा- गोरखपुर नामक संस्था के प्रांगण में सांय के 5.30 बजे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई कोरम पूरा रुदा कार्यवाही प्रारम्भ की

प्रस्ताव सं-0-1

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार-



~~अध्यक्ष महोदय की पिछली कार्यवाही दिनांक~~

~~15.08.2016 व 30.10.2020 की कार्यवाही को
बढ़कर मुक्तया जिसकी प्राकृति सर्वसम्मति से समी
उपस्थित लोगों ने किया।~~

अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण बैठक
की कार्यवाही सर्वसम्मति से समाप्त की गई।

~~ठाकुर~~

~~मुख्यमन्त्री विभाग
सर्वसम्मति से समाप्त की~~

Bhawan
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सत्य - प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा विद्यु
प्र० गोरखपुर

Dipak
Manager प्रतिलिपि कर्ता...
P.N. National Public School कर्ता...
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur 16-03-2021

चुनाव की कार्यवाही

आज दिनांक 30.10.2020 को पूर्व सूचना के अनुसार सापारपा सभा की एक बैठक प्रचारण सिठ शिखा एवं जन कल्याण संस्थान 31-ए, हुमायूंपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज पोर्ट मुख्य डाकघर तहसील- सदर जनपद गोरखपुर के संस्था के संस्थान में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पूर्वाहन के 11.00 बजे सम्पन्न की गई। कोरस पूरा रखा कार्यवाही प्रारम्भ की गई-

प्रस्ताव सं-0-1

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार-

प्रस्ताव सं-0-2


प्रबन्ध समिति के चुनाव पर विचार-

अध्यक्ष महोदय ने पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुनाया जिसकी पुष्टि सर्व सम्मति से सभी उपस्थित लोगों ने किया।

अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ हुई तथा यह प्रस्ताव रखा कि संस्था की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूरा हो जाए इसलिए प्रबन्ध समिति का चुनाव कराना आवश्यक है। जिसका समर्थन सभी उपस्थित लोगों ने किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संस्था की वर्तमान प्रबन्ध समिति सिम्म प्रकार से होगी।

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. श्री ओमप्रकाश सिंह | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरिहर सिंह | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री दीपक सिंह | प्रबन्धक/सचिव |
| 4. श्री रमेश सिंह | उपप्रबन्धक/उपसचिव |
| 5. श्रीमती मालती सिंह | कोषाध्यक्ष |
| 6. श्री डा० रामनरेश सिंह | सदस्य |
| 7. श्रीमती कमला सिंह | सदस्य |
| 8. श्रीमती विद्यावती सिंह | सदस्य |
| 9. श्री हुकुमचन्द खरवार | सदस्य |

जिसका समर्थन सभी उपस्थित लोगों ने किया। अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मति से समाप्त की गई।



मालती सिंह
प्रबन्धक

दीपक सिंह

रमेश सिंह

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटी नथा विद्या
प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...
Manager P.N. National Public School, कर्ता.../16-3-2021
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

Burnam
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

संख्या 02220/2020-2021

प्रारूप-१
विभाग ४(२) एवं विभाग

दिनांक 18/02/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या: R/GOR/17114/2020-2021

पत्रावली संख्या: G-47638

दिनांक: 2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पंचालन रिंग शिक्षण एवं जग कल्याण संस्थान, 31-ए हुमायुपुर दक्षिणी ओवर फ्लज फोर्म- मुख्य डाकघर तहसील- सदर जनपद- गोरखपुर, गोरखपुर, 273001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1108/2010-2011 दिनांक-03/11/2010 को दिनांक-03/11/2020 से पांच घर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1200 रुपये की नवीनीकरण फ्रीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)

312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 18/02/2021 4:45:20 PM, Location: Gorakhpur.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक- 18/02/2021

Ajay Kumar
PRINCIPAL
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Gorakhpur

Dwight
Manager
P.N. National Public School
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur